

### अध्याय III: प्रणालीगत मुद्दे और नियंत्रण

#### 3.1 प्रस्तावना

आय कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखाकारों द्वारा कर लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण निर्धारित करता है। तदनुसार, कर लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए विभिन्न फार्म (परिशिष्ट 1 में विवरण) बनाए गए हैं जिन्हें लेखाकारों द्वारा देना होता है जिससे आईटीडी को उसके राजस्व जुटाने के प्रयासों में सहायता मिल सके। निर्धारण कार्यवाहियों में प्रमाणीकरण की संवीक्षा करते समय, हमने निर्धारित फार्मों में कतिपय कमियां पायीं। हमने लेखाकारों द्वारा किए गए कार्य में आईटीडी द्वारा मानीटरिंग की कमी भी पाई। वर्तमान अध्याय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखाकारों द्वारा किए गए कर लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में आईटीडी के प्रणालीगत मुद्दे और मानीटरिंग तंत्र से संबंधित हैं।

**फार्म 3 सीडी में वितरित लाभ के भुगतान की घोषणा की तिथि की अनुपलब्धता के कारण हम अनुबद्ध अवधि में प्रदत्त कर या विलम्ब के कारण प्रभारित किए जाने वाले किसी ब्याज के औचित्य को सत्यापित नहीं कर सके।**

#### 3.2 संवितरित लाभों के भुगतान की तिथि की घोषणा

अधिनियम की धारा 115-ओ में प्रावधान है कि किसी नि. व. के लिए घरेलू कम्पनी की कुल आय के संबंध में प्रभार्य आयकर के अलावा, लाभ में से लाभांश के माध्यम से (अन्तरिम या अन्यथा) ऐसी कम्पनी द्वारा घोषित, संवितरित या भुगतान की गई किसी राशि को 1 अप्रैल 2007 से 15 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आयकर के लिए प्रभारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 115पी में प्रावधान है कि जहां कम्पनी वितरित लाभ पर समयसीमा के अन्दर (घोषणा/भुगतान की तिथि से 14 दिनों में) कर के पूरे या किसी भाग का भुगतान करने में विफल हो जाती है, वहाँ वह प्रत्येक माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के भुगतान करने को दायी होगी।

हमने पाया कि फार्म 3 सीडी की क्रम संख्या 29 में वितरित लाभ की राशि, उस पर प्रदत्त कर और कर के भुगतान की तिथि का विवरण देना अपेक्षित है। इसमें घोषणा की तिथि/वितरित लाभ के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं हैं। इसके अभाव में यह सत्यापित करना कठिन है कि क्या कर का भुगतान अनुबद्ध अवधि के अन्दर किया गया है या विलम्ब के कारण कोई ब्याज प्रभारित किया जाना है।

हमने 88 मामलों में उपलब्ध स्रोतों से लाभांश की घोषणा/भुगतान की तिथियां पता लगाने की कोशिश की किन्तु ये तिथियां प्राप्त नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, हम इन मामलों में लाभांश वितरण कर के भुगतान में विलम्ब यदि कोई हो, तो उसके लिए ब्याज राशि निकालने में असमर्थ थे (बॉक्स 3.1 देखें)।

**बॉक्स 3.1: वितरित लाभों की तिथि की घोषणा न होने के निदर्शी मामले**

**प्रभार: सीआईटी –कोट्टयम**

**निर्धारिती: एमएस पैक लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष: 2009 -10**

**सनदी लेखाकार: पी. राजगोपाल (सदस्य संख्या 202134)**

निर्धारिती ने 31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि खाते में ₹ 1.06 करोड़ के अन्तरिम लाभांश तथा ₹ 19.01 लाख के लाभांश कर के लिए एक प्रावधान बनाया। तथापि, निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए फार्म 3 सीडी के खण्ड 29 में इसे 'शून्य' दिखाया गया। बाद में निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरण से यह देखा गया कि भुगतान 29.09.2009 को किए गए तथा ₹ 19.01 लाख कर के प्रावधान में ₹ 1.08 लाख का ब्याज सम्मिलित था। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में घोषणा तिथि तथा लाभांश भुगतान की तिथि के अभाव में प्रभारित ब्याज की परिशुद्धता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

इसलिए आईटीडी अनुबद्ध अवधि के अन्दर करों के भुगतान अथवा विलम्ब के कारण प्रभारित किए जाने वाले किसी ब्याज को निकालने के लिए फार्म 3 सीडी में वितरित लाभों के भुगतान की घोषणा की तिथि को शामिल करने पर विचार करें।

**लेखाकार की रिपोर्ट में मैट क्रेडिट का विवरण प्रस्तुत करने के अभाव में हम निर्धारितियों द्वारा लिए गए मैट क्रेडिट की परिशुद्धता को सत्यापित नहीं कर सके।**

### 3.3 लेखाकार की रिपोर्ट में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट की घोषणा

अधिनियम की धारा 115जेए के तहत, निर्धारिती मैट क्रेडिट<sup>12</sup> लेने का हकदार है जिसे सात वर्षों की अवधि के अन्दर (नि. व. 2010-11 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया) किसी भी वर्ष में जब सामान्य देय कर धारा 115जेबी के तहत देय कर से अधिक हो, समायोजन के लिए अग्रणीत किया जा सकता है। निर्धारण वर्षवार उपलब्ध मैट क्रेडिट जिसे निर्धारिती द्वारा अग्रणीत किया जा सकता है (जैसाकि अनवशोषित मूल्यह्रास तथा व्यवसाय हानि के अग्रेषण के मामले में) का विवरण देने के लिए न तो 3 सीडी रिपोर्ट में न ही 29बी प्रमाणपत्र में कोई खण्ड हैं। इसके अभाव में, मैट क्रेडिट की परिशुद्धता को सुनिश्चित करना कठिन है जिससे करों का कम उद्ग्रहण हो सकता है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, हमने मैट क्रेडिट की उपलब्धता के लिए विवरण से यह देखा कि सीए या निर्धारिती ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत तथा मैट के तहत कर देयता दर्शाने के लिए कोई गणना शीट प्रस्तुत नहीं की। क्रेडिट उपलब्धता की विस्तृत गणना के अभाव में हम धारा 115 जेए के तहत क्रेडिट के लिए दावे की परिशुद्धता को सुनिश्चित नहीं कर सके।

हमने 30 ऐसे मामलों में यह देखा कि अधिक मैट क्रेडिट को स्वीकृति दी गई थी जिसका कर प्रभाव ₹ 54.26 करोड़ था (बॉक्स 3.2 देखें)।

#### बॉक्स 3.2: मैट क्रेडिट पर निदर्शी मामले

**क. प्रभार : डीसीआईटी सर्कल -1, सूरत**  
**निर्धारिती : गुजरात एनवायरो प्रोटेक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष: 2010-11**  
**सनदी लेखाकार: निरंजन पी. देसाई (सदस्य संख्या 39210)**

अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत नि.व. 2010-11 के लिए कर देयता की संगणना करते समय ₹ 4.17 करोड़ के मैट क्रेडिट को स्वीकृति दी गई थी। पूर्व निर्धारण अभिलेखों से हमने देखा कि नि.व. 2006-07 से नि.व. 2009-10 तक से संबंधित केवल ₹ 85.86 लाख का मैट क्रेडिट नि.व. 2010-11 में उपलब्ध था। ₹ 3.31 करोड़ के अतिरिक्त मैट क्रेडिट की मंजूरी के परिणामस्वरूप ₹ 4.51 करोड़ (ब्याज सहित) के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

<sup>12</sup> धारा 115जेबी के तहत भुगतान किए गए कर तथा सामान्य देय कर के बीच अन्तर ।

**ख. प्रभार: सीआईटी 8 मुम्बई**

**निर्धारिती: शाह पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष: 2006-07**

**सनदी लेखाकार : आर.आर. मुन्नी एण्ड कं. (सदस्य संख्या 030834)**

आईटीडी ने नि.व. 2006-07 के लिए ₹ 2.86 करोड़ की कुल आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2008 में निर्धारण पूरा किया तथा 24 मई 2012 के आईटीएटी आदेश को प्रभावी करते हुए ₹ 2.64 करोड़ पर संशोधित किया। निर्धारिती ने दिनांक 09.06.2012 के पत्र द्वारा नि.व. 1999-2000 से नि.व. 2004-05 के लिए मैट क्रेडिट की मंजूरी का अनुरोध किया। आईटीडी ने ₹ 74.28 लाख के मैट क्रेडिट को मंजूर करते हुए मई 2013 में धारा 154 के तहत परिशोधन आदेश पारित किया तथा ब्याज सम्मिलित करने के पश्चात ₹ 84.08 लाख का प्रतिदाय दिया। 2000-01 से पूर्व वर्षों का मैट क्रेडिट कालातीत हो गया था तथा 2001-02 से 2005-06 की अवधि के लिए मैट क्रेडिट को मंजूर करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 74.28 लाख के मैट क्रेडिट की गलत स्वीकृति हुई तथा ब्याज सहित ₹ 84.07 लाख के प्रतिदाय की गलत स्वीकृति हुई।

**ग. प्रभार: सीआईटी II कानपुर**

**निर्धारिती : जे.के. सीमेंट लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2007-08**

**सनदी लेखाकार : पी.पी.सिंह (सदस्य संख्या 072754)।**

नि.व. 2007-08 के लिए निर्धारण को निर्धारिती द्वारा आय की अपनी संगणना में दावित रूप में ₹ 4.27 करोड़ के मैट क्रेडिट को स्वीकृत करके पूरा किया गया। अधिनियम की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के उल्लंघन में, ₹ 4.27 करोड़ का मैट क्रेडिट जिसमें ₹ 46.40 लाख का अधिप्रभार तथा शिक्षा उपकर सम्मिलित था, को निर्धारिती द्वारा दावित रूप में एओ द्वारा अनियमित स्वीकृति दी गई।

इसलिए, आईटीडी को निर्धारण वर्ष-वार उपलब्ध मैट क्रेडिट का जिसे धारा 115जेएए के तहत निर्धारिती द्वारा अग्रणीत किया जा सकता है, की सत्यता की पुष्टि के लिए, विवरण देने के लिए फार्म 3 सीडी या 29बी प्रमाणपत्र के संशोधन पर विचार करना चाहिए।

**धर्मार्थ ट्रस्ट/संस्थान द्वारा अनुप्रयोग के रूप में पृथक रखे गए पिछले 10 वर्षों के संचयन या राशियों के उपयोग के संबंध में विवरण प्रदान करने के लिए फॉर्म 10बी तथा फॉर्म 10बीबी में कोई प्रावधान नहीं है।**

### 3.4 फॉर्म 10बी तथा 10बीबी में कमियाँ

धारा 11(2) में प्रावधान है कि जहां भारत में आय के 85 प्रतिशत को पिछले वर्ष के दौरान धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता अपितु समग्र या आंशिक रूप में भारत में ऐसे उद्देश्यों में प्रयोग के लिए संग्रहित या अलग रखा जाता है। इस प्रकार संग्रहित या पृथक रखी गई ऐसी आय को व्यक्ति के पिछले वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति एओ को लिखित में नोटिस द्वारा आय को संग्रहित करने या अलग रखने का उद्देश्य तथा अवधि जोकि किसी भी अवस्था में पाँच वर्ष से ज्यादा न हो, उल्लेख करे। इस प्रकार संग्रहित या अलग रखी गई राशि को धारा 11(5) में निर्दिष्ट विधियों के रूप में निवेशित या जमा किया जाता है।

धर्मार्थ या धार्मिक न्यास या संस्थाओं के लिए लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के उद्देश्य हेतु फॉर्म 10बी तथा 10बीबी को बनाया गया है। इन फॉर्मों में प्रयोग के रूप में पृथक रखी गई राशियों के पिछले दस वर्षों के संग्रहण या उपयोग के संदर्भ में विवरण उपलब्ध कराने वाला कोई कॉलम नहीं हैं। आईटीडी के पास इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

यद्यपि धारा 115 बीबीसी के तहत फॉर्म 10बीबी डोनेशन का विवरण मांगता है, तथापि फॉर्म 10बी में ऐसी कोई सूचना देना अपेक्षित नहीं है। फॉर्मों में गैर-अनुपालन की मात्रा निर्धारण को अनुबंधित नहीं किया गया है। टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में फॉर्म मौन थे। इसी प्रकार, फॉर्मों में न्यास के कार्यकलापों तथा उद्देश्यों की प्रकृति के लिए कॉलम नहीं है। फॉर्म पंजीकरण संख्या तथा 12एए, 80जी तथा 10(23सी) के तहत पंजीकरणों की वैधता के संदर्भ में सूचना उपलब्ध नहीं कराते। इस तथ्य पर धर्मार्थ न्यासों तथा संस्थाओं के लिए छूटों की समीक्षा (2013 की रिपोर्ट सं. 20) पर पहले ही टिप्पणी की जा चुकी है। तथापि, अभी तक (जून 2014) परिवर्तनों को अधिसूचित नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा का मत है कि नियन्त्रण रखने का एकमात्र साधन संचित निधि के निवेश तथा अनुप्रयोग में अधिनियम के प्रावधानों से विचलन दर्शाने हेतु इसे लेखाकारों के लिए अनिवार्य बनाना होगा।

**नियंत्रण रजिस्टर के रखरखाव को बन्द करना/ ई-फाइलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात् नियंत्रण रजिस्टर के रखरखाव को बंद करने से टीएआर से निर्धारित अवधि में दाखिल करने पर नियंत्रण में कठिनाई।**

### 3.5 नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव

निर्धारिती, लेखाकार तथा एओ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करें, इसे सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी ने क्रमशः जनवरी 1999 तथा नवम्बर 1999 में निर्देश संख्या 1959 तथा 1976 जारी किए जिसमें निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों (टीएआर) में उपलब्ध सूचनाओं के प्रभावी उपयोग के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निहित हैं।

ऐसे सभी मामलों पर जहां धारा 44एबी के तहत कर लेखापरीक्षा अनिवार्य है, प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए एओ को निर्देश संख्या 1976 में निर्दिष्ट फॉर्मेट में “धारा 44एबी के तहत कर लेखापरीक्षा मामलों का नियंत्रण रजिस्टर” का अनुरक्षण करना अपेक्षित था। इस रजिस्टर का रखरखाव एओ को टीएआर न भरने या देरी से भरने, लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त करने या ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विफलता के लिए धारा 271बी के तहत जुर्माना कार्रवाईयों तथा टीएआर में अनियमितताओं के मामलों पर नजर रखने में समर्थ बनाता है। एओ को तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्देश संख्या 1976 में निर्दिष्ट फॉर्मेट में कर लेखापरीक्षा मामलों पर प्रगति रिपोर्ट देना भी अपेक्षित था।

हमने पाया कि 11 राज्यों<sup>13</sup> में नियंत्रण रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे। शेष राज्यों<sup>14</sup> में इसे अंशतः अनुरक्षित किया गया था। आईटीडी के मुम्बई कार्यालयों के एओ ने बताया कि उन्होंने आईटीआर की ई-फाइलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात् नियंत्रण रजिस्टर का रख-रखाव बन्द कर दिया है।

<sup>13</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

<sup>14</sup> दिल्ली, केरल, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल

ई-फाइल किए गए रिटर्नों के मामले में, निर्धारिती को यह वर्णन करना अनिवार्य है कि क्या निर्धारिती के लिए धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षा अनिवार्य है तथा कर लेखापरीक्षक का नाम तथा सदस्य संख्या क्या है। निर्धारिती को टीएआर में दिए गए विवरणों को भरना भी अनिवार्य है। जो आय की संगणना हेतु उपयोगी है। लेखापरीक्षा का विवरण प्राप्त करने के लिए ई फाइल के आईटीडी के डाटाबेस में प्रश्न की तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी कि क्या निर्धारिती ने कर लेखापरीक्षा का विवरण प्रस्तुत किया है। इस परिदृश्य में, जब इकाईयों द्वारा नियंत्रण रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया है तथा डाटाबेस में प्रश्न के लिए ई-रिटर्न फाइलिंग प्रणाली में कोई सुविधा नहीं है, यह स्पष्ट नहीं होता कि आईटीडी यह सुनिश्चित कैसे करता है कि निर्धारिती ने आईटीआर में कर लेखापरीक्षा पर सही रूप से सभी आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है।

ई-फाइलिंग प्रारंभ होने के पश्चात तथा नियंत्रण रजिस्टर के अनुरक्षण के अभाव में एओ के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर टीएआर भरने पर नजर रखना कठिन है। इसलिए, एओ अधिनियम की धारा 271बी के तहत जुर्माना कार्यवाही प्रारंभ करने में भी असमर्थ है।

**सीए द्वारा की जाने वाली कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा कार्यों की सीमा की मॉनीटरिंग के लिए आईटीडी के पास कोई तंत्र नहीं है।**

### 3.6 कर लेखापरीक्षा कार्यों की संख्या पर नियंत्रण

सीए द्वारा की जाने वाली कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, आईसीएआई ने सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत सदस्यों के लिए दिशा-निर्देश<sup>15</sup> जारी किए हैं। इसने 45 कर लेखापरीक्षा कार्यों की एक सीमा निर्धारित की है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी के तहत एक नि. व. में एक सीए द्वारा की जा सकती है। एक फर्म के मामले में, निर्दिष्ट अधिकतम कर लेखापरीक्षा कार्य सीमा फर्म के प्रत्येक भागीदारों के लिए लागू होगी। आईटी समर्थित पर्यावरण में कार्य करने में सदस्यों की व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने से, आईसीएआई ने कर लेखापरीक्षा कार्यों की सीमा बढ़ाकर 45 से 60 कर दी (फरवरी 2014) जो वि.व. 2014-15 के दौरान की गई लेखापरीक्षाओं से प्रभावी होगी।

<sup>15</sup> दिनांक 8 अगस्त 2008 की काउंसिल दिशा निर्देश संख्या 1-सीए (7)/02/2008

हमने पाया किया कि आईटीडी के क्षेत्रीय कार्यालयों में यह देखने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि एक सीए ने कर लेखापरीक्षा कार्यों पर आईसीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमा को पार नहीं किया है। आईसीएआई ने सदस्यों/फर्मों द्वारा अनुरक्षण करने के लिए कर लेखापरीक्षा विवरण का प्रारूप निर्धारित किया है। हमने आईसीएआई को यह सूचित करने के लिए सम्पर्क किया (अगस्त तथा सितम्बर 2014) कि क्या सीए द्वारा अपने दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है। आईसीएआई ने यह सूचित किया (सितम्बर 2014) कि अभिलेखों का रखरखाव एक स्वयं विनियमित तंत्र है तथा अनुरक्षित सूचना को दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच करने के लिए आईसीएआई द्वारा मांगा जा सकता है। तथापि, आईसीएआई द्वारा प्राप्त किसी सामान्य शिकायत पर सनदी लेखाकार अधिनियम तथा उसके तहत निर्मित कदाचार नियमों में दिए गए फ्रेमवर्क के अन्दर कार्यवाही की जाती है।

आईटीडी के डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रदान (अगस्त 2014) की गई सूचना के अनुसार, नि.व. 2013-14 के लिए 65,898 सीए ने कम से कम एक टीएआर प्रस्तुत की। सीए के कुल 65,898 अभिलेखों में से 81.13 प्रतिशत सीए ने आईसीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमा का अनुपालन किया। शेष 18.87 प्रतिशत सीए (12,435 सीए) ने 45 से अधिक टीएआर प्रस्तुत की। अधिकतम टीएआर 46 से 2461 के बीच थी। तालिका 3.1 सीए द्वारा जारी कुल टीएआर संख्या तथा उसकी प्रतिशतता के स्तरीकरण को दर्शाती है।

**तालिका 3.1 : नि.व. 2013-14 के लिए सीए द्वारा जारी कुल टीएआर का स्तरीकरण**

जारी टीएआर की रेंज	लेखाकारों की कुल संख्या	कुल लेखाकारों की प्रतिशतता
1-45	53,463	81.13
46-100	10,838	16.45
101-200	1,364	2.07
201-300	166	0.25
301-400	45	0.07
401-500	10	0.02
501-1000	11	0.02
> 1000	1	0
<b>कुल लेखाकार</b>	<b>65,898</b>	

तालिका 3.2 टॉप 22 सीए को दर्शाती है जिन्होंने नि.व. 2013-14 के लिए 45 से अधिक टीएआर जारी किए।

तालिका 3.2: नि.व. 2013-14 के लिए 400 से अधिक टीएआर जारी करने वाले सीए है

सनदी लेखाकार	सदस्य संख्या	टीएआर की संख्या
1. प्रलय चक्रवर्ती	059736	2,471
2. पार्था प्रतीम मुखोपाध्याय	056366	990
3. आर मुरलीधरन	024060	796
4. राजेश कुमार गुप्ता	074194	640
5. स्वपन आचार्य	062815	638
6. डी सुन्दरराजन	010150	619
7. बी सी वादीवेल	206700	612
8. राज हंस	087767	586
9. समीर पुष्पवादन गांधी	039251	551
10. नवीन अग्रवाल	078175	522
11. पॉलोस शाजी	022909	513
12. ए कुलथूरन पिल्लै	018792	510
13. सुकदेब हल्दर	051185	494
14. चेतन प्रेमचन्द शाह	031239	487
15. पी रामलिंगम	019516	478
16. अरुण कुमार	097929	461
17. एस वायरावनाथन	004736	457
18. राधा कान्त दास	062863	428
19. सुरेश कुमार गोयल	084153	417
20. हेतल भेललभाई धमेलिया	119864	415
21. टीएस वेन्टाकरमन लक्ष्मी	022214	414
22. जय भगवान मित्तल	084512	401

डीजीआईटी (प्रणाली) के पास उपलब्ध सूचना को न तो आईटीडी द्वारा आईसीएआई के साथ आपस में शेयर किया गया है न ही आईसीएआई ने ऐसी सूचना देने के लिए आईटीडी से कभी सम्पर्क किया। आईटीडी या आईसीएआई द्वारा कर लेखापरीक्षा कार्यों की संख्या की मॉनीटरिंग के अभाव में कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग का उद्देश्य प्रभावित हुआ है। चूंकि कर लेखापरीक्षा कार्य एक विस्तृत कार्य है, तथापि निर्दिष्ट से अधिक टीएआर जारी करना गुणवत्ता में कमी के खतरे से युक्त है।

राजस्व हित में, अधिनियम में आईसीएआई पर निर्भर होने के बजाय कर लेखापरीक्षा कार्यों की गुणवत्ता के लिए निर्दिष्ट प्रावधान होने चाहिए। इसलिए, आईटीडी को आईसीएआई के साथ परामर्श से कर लेखापरीक्षा कार्यों की संख्या को सीमित करने के लिए अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान बनाने पर विचार करना चाहिए। सीए द्वारा ई-फाइलिंग के लिए एक स्वचालित पर्यावरण में, निर्धारित सीमा का पालन उपयुक्त नियंत्रण प्रदान करके किया जा सकता है।

**पेशे का अभ्यास करने वाले अनैतिक सीए को रोकने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी सदस्य संख्या की मान्यता जाँचने के लिए आईटीडी में कोई तंत्र नहीं है।**

### 3.7 लेखाकार की सदस्यता की प्रमाणिकता

सीए को टीएआर तथा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम तथा सदस्य संख्या को अंकित करना अपेक्षित है। विभिन्न नियमों के तहत निर्धारित फॉर्मों की संवीक्षा से पता चलता है कि 26 फॉर्मों में सदस्य संख्या को उद्धरित करने के लिए कॉलम नहीं है। जून 2013 में धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की अनिवार्य ई-फाइलिंग प्रारम्भ होने के बाद इन्हें, पेशे का अभ्यास करने वाले अनैतिक सीए को रोकने के लिए सीए द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान पूर्ण निर्धारणों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि आईटीडी में यह सुनिश्चित करने हेतु कोई नियंत्रण तंत्र नहीं है कि टीएआर हस्ताक्षरकर्ता सीए की सदस्य संख्या को अंकित किए बिना कोई टीएआर फाइल नहीं की गई थी। हमने ऐसे 379 मामले पाये जहाँ टीएआर तथा प्रमाणपत्रों को सीए की सदस्य संख्या अंकित किए बिना फाइल किया गया था। हमने यह भी देखा कि कर लेखापरीक्षकों ने टीएआर पर फर्जी सदस्य संख्या अंकित की थी।

हमने गलती करने वाले सदस्यों पर कार्रवाई करने हेतु किसी संस्थागत तंत्र की जानकारी के लिए आईसीएआई से सम्पर्क किया (अगस्त तथा सितम्बर 2014)। आईसीएआई द्वारा यह बताया गया (सितम्बर 2014) कि संरचना ढांचे ने उन्हें इस विशिष्ट गैर अनुपालन के संदर्भ में सरलता से सूचना चयन करने में समर्थ नहीं बनाया। जहाँ पर भी ऐसे आरोपो को शिकायत के रूप में प्राप्त किया गया वहाँ इन पर सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार कार्यवाही की गई। आईटीडी में भी यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि कर लेखापरीक्षकों की मान्य सदस्य संख्या के साथ टीएआर फाइल की गई थी। आईटीडी ने इस चूक के लिए निर्धारिती/कर लेखापरीक्षक के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की (बॉक्स 3.3 देखें)।

### बॉक्स 3.3: फर्जी सदस्यता पर निदर्शी मामला

प्रभार : सीआईटी 2 थाने

निर्धारण वर्ष : 2007-08

सनदी लेखाकार : देवेद्र व्यास (सदस्य संख्या 41292)

नि.व. 2007-08 के लिए, चार निर्धारितियों अर्थात् श्रीमती शिल्पा चौधरी (पैन एएफसीपीसी4801आर), श्री सन्दीप अशर (पैन एजीपीपीए6048पी), श्री सचिन कादले (पैन एएनपीएचके2662के) तथा श्री शीतल साने (पैन एजेएनपीएस8336सी) के नाम से 31 अक्टूबर 2010 को सीआईटी 2 थाने प्रभार में चार रिटर्न फाइल की गई थी। निर्धारण कार्यवाही के दौरान सत्यापन से पता चला कि कर लेखापरीक्षक द्वारा जारी कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा इंडिया इंफोलाइन इंश्योरेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी टीडीएस प्रमाणपत्र नकली थे और आईटीडी ने यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में यह प्रतिदाय का दावा करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ नकली रिटर्न भरने का एक मामला था। आईटीडी ने एफआईआर दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया अथवा उन व्यक्तियों का पता लगाने तथा अभियोग चलाने के लिए कार्रवाई नहीं की जिन्होंने प्रतिदाय के लिए कपटपूर्ण दावे करके जुर्म करने का प्रयास किया।

सीए द्वारा ई-फाइलिंग पर बढ़ती निर्भरता के साथ, कपटपूर्ण सीए की जांच करने के लिए आईसीएआई द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस के साथ सदस्य संख्या की वैधता की जाँच के लिए आईटीडी को एक तंत्र पर विचार करना चाहिए।

### 3.8 धारा 271बी तथा 271बीए के तहत जुर्माना

धारा 271बी प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 44एबी के तहत आवश्यक रूप में एक निर्धारण वर्ष से सम्बद्ध किसी पिछले वर्ष या वर्षों के संदर्भ में अपने खाते को लेखापरीक्षित करवाने अथवा ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल होता है तो एओ यह निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्ति जुर्माने के रूप में ऐसे पिछले वर्ष या वर्षों के कारोबार के मामलों में अपनी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों या एक व्यवसाय के मामले में सकल प्राप्ति के आधे प्रतिशत के बराबर राशि या ₹ 1,50,000 जो भी कम हो, का भुगतान करें। धारा 271बीए अनुबंधित करती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 92ई में वांछित एक लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल होता है तो एओ यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति जुर्माने के रूप में ₹ 1,00,000 की राशि का भुगतान करेगा।

दंडात्मक प्रावधान निवारक तंत्र है तथा उनको निर्धारिती द्वारा धारा 44एबी तथा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के मामलों में लागू किया जाना है। परन्तु सीए द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण/गलत सूचना के मामलों में, आईटीडी इन मामलों को अधिनियम की धारा 288 के तहत चूककर्ता सीए के प्रति व्यावसायिक लापरवाही के लिए कार्रवाई करने के लिए केवल आईसीएआई को भेज सकता है। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट के अध्याय 11 के खण्ड क में पाया है कि इसमें ऐसे मामले हैं जहां सीए ने अपूर्ण/आंशिक सूचना प्रस्तुत की है जिसके परिणामस्वरूप करों का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसलिए, राजस्व हित में, चूककर्ता सीए यदि सकल पेशेवर कदाचार के दोषी पाए जाये तो आईटीडी को उनके प्रति अधिनियम में दण्डात्मक प्रावधान बनाने पर विचार करना चाहिए।

*मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि सीए जिन्होंने गलत रिपोर्टों पर हस्ताक्षर किए थे, के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए आयकर अधिनियम में किसी नये प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 277, 277ए तथा 278 में पहले से ही पर्याप्त प्रावधान हैं।*

लेखापरीक्षा का विचार है कि यद्यपि गलती करने वाले सीए के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं, फिर भी हमने ऐसे मामले नहीं देखे जहाँ इनका प्रयोग किया गया हो। अतः मंत्रालय अधिनियम में दिये गए प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करे।

**1999 में अनुदेश जारी होने के बावजूद भी आईटीडी ने अधिनियम की धारा 288 के तहत टीएआर/प्रमाणपत्र पर सीए के हस्ताक्षर के व्यवसायी अनदेखी पर कोई कार्रवाई नहीं की।**

**3.9 कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अपर्याप्त/गलत सूचना देने पर कार्रवाई नहीं करना।**

अधिनियम की धारा 44एबी के अंतर्गत लेखाकार को फॉर्म 3डी के विभिन्न खण्डों में बताई गई आवश्यकताओं के संदर्भ में निर्धारिती के लेखाओं की सटीकता का सत्यापन करना चाहिए। इन खण्डों में कुछ तत्संबंधी सूचना होती है जो निर्धारिती की करयोग्य आय का समुचित निर्धारण करने में सहायता प्रदान करती हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत छूट अथवा कटौतियाँ लेने के लिए निर्धारिती को निर्धारित फॉर्म में लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रमाणपत्र लेना होता है। चूँकि लेखाकार से सत्य और सटीक सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, ऐसी सूचना निर्धारण करते समय एओ को सहायता प्रदान करती हैं।

अधिनियम की धारा 92ई में यह भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने पिछले वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन किया है, उसे फॉर्म 3सीईबी में लेखाकार से रिपोर्ट लेना होगी। यह सूचना अंतर्राष्ट्रीय लेने-देनों का सही रूप निर्धारित करने में आईटीडी की मदद करती है।

अधिनियम की धारा 288 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो विधिक पेशेवर है अथवा लेखाकार है उस प्राधिकारी द्वारा जो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार रखता है, उसके व्यवसायी क्षमता में अनुचित व्यवहार का दोषी पाया जाता है, तो उस प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, आयकर प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगा जैसाकि विधिक पेशेवर या लेखाकार जैसा भी मामला हो, रूप में उसके प्रेक्टिस करने के अधिकार के सम्बन्ध में लागू होगा।

अधिनियम की धारा 44एबी के अंतर्गत लेखाओं की लेखापरीक्षा पर हमारे पूर्व के कार्य जिसे 1997 की सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.12 के पैरा 3.2 में दिया गया था, को देखते हुए सीबीडीटी ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के उपयोग के महत्व पर ध्यान आकर्षित करते हुए जनवरी 1999 में अनुदेश सं.1959 जारी किया। इसमें यह भी उल्लेख था कि ऐसे मामले जहां टीएआर में दी गई सूचना अपूर्ण अथवा अनिश्चित हैं तो सीआईटी द्वारा ऐसे मामलों में यह देखा जाए कि क्या टीएआर पर हस्ताक्षर करने वाले लेखाकार की ओर से कोई पेशवर अनदेखी की गई हैं और उस पर अधिनियम की धारा 288 के अनुसार कार्रवाई की जाए। ऐसे मामले जहां लेखाकार की रिपोर्ट में अपर्याप्त/गलत सूचनाएँ दी जाती हैं और एओ द्वारा या लेखापरीक्षा के कहने पर कुछ जोड़ा जाता है तो टीएआर में अपर्याप्त/गलत सूचना सत्यापित करने वाले लेखाकारों के प्रति कार्रवाई करने हेतु इस तथ्य को आईसीएआई के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

समीक्षा अवधि के दौरान हमें ऐसा कोई मामला नहीं मिला जिसमें अधिनियम की धारा 288 के तहत सीए के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आईटीडी ने मामले को आईसीएआई के संज्ञान में लाया हो। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में ₹ 2,813.11 करोड़ के कर प्रभाव वाले 367 मामलों की चर्चा की गई है जिसमें सीए टीएआर/प्रमाणपत्रों में पूरी सूचना और सही जानकारी देने में विफल रहे। इन मामलों के अलावा, हमने ऐसे मामले भी देखे जहां एओ द्वारा निर्धारण के दौरान सीए द्वारा बताई गई कुल आय में बढ़ोतरी कर सीबीडीटी के कर संग्रहण के प्रयासों को आगे बढ़ाया गया। इन सभी मामलों में सीए द्वारा पेशवर अनदेखी की गई। इसके अलावा सीबीडीटी द्वारा बनाई गई केंद्रीय कार्ययोजना (सीएपी) राजस्व जुटाने के मापने योग्य क्रियाकलापों पर केन्द्रित हैं। इसमें उच्च प्राधिकारियों को सुझाव भी शामिल है। सीएपी में आईसीएआई के साथ मामला उठाने सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं है। इससे पता चलता है कि सीबीडीटी ने आईसीएआई के संज्ञान में मामले लाने को निम्न प्राथमिकता में रखा हुआ है।

सीए अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (4) के अनुसार एक कार्यरत सीए व्यवसायी कदाचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह किसी व्यापार या किसी उद्यम के वित्तीय विवरण पर अपना मत व्यक्त करता है जिसमें उसका, उसके रिश्तेदार का, उसकी फर्म अथवा उसकी फर्म के साझेदार का हित निहित हो (बाक्स 3.4 देखें)।

**बाक्स 3.4: सीए द्वारा व्यवसायी कदाचार पर निदर्शी मामले****प्रभार: सीआईटी v, चेन्नई****निर्धारिती: रेडीसाल्व सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड****निर्धारण वर्ष: 2010-11****सनदी लेखाकार: अशोक दुरईसामी (सदस्य संख्या: 205424)**

निर्धारिती, एक 'क्लोजली हैल्ड' कम्पनी थी जिसके हितधारक प्रबंध निदेशक और उसके पति थे। हमने देखा कि निर्धारिती कंपनी के फॉर्म 56एफ में वित्तीय विवरण और प्रमाणपत्र सीए, जो प्रबंधन निदेशक का संबंधी (भाई) था द्वारा तैयार किया गया और हस्ताक्षरित किया गया था। अतः सीए अधिनियम के अनुसार सीए व्यावसायिक कदाचार का दोषी था। इसलिए आईटीडी को आयकर अधिनियम के साथ-साथ सीए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 ऐसे व्यक्ति के ऐसी कम्पनी में लेखापरीक्षक नियुक्त होने पर प्रतिबंध लगाती है, जिसमें वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट गतिविधियां करता/करती है। आईटीडी को राजस्व हित में अधिनियम में समान प्रावधान लाने पर विचार करना चाहिए।

अधिनियम के अंतर्गत निर्धारितियों को उपलब्ध समस्त छूट/कटौतियां सीए जैसे पेशेवर के ऊपर निर्भर हैं, आईटीडी को उन सीए के बारे में आईसीएआई को बताना चाहिए जो अपने व्यवसाय में कदाचार के दोषी पाये जाते हैं।

**3.10 निष्कर्ष**

धारा 44एबी को अधिनियम में 1984 में शामिल करने के बाद, हमने लेखाकारों द्वारा कर लेखापरीक्षा/सत्यापन की प्रणाली का मूल्यांकन 1997<sup>16</sup> और फिर 2008<sup>17</sup> में किया। इन दोनों लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने बताया कि एओ द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं का निर्धारण कार्यवाहियों में उपयोग नहीं किया जा रहा था और टीएआर/प्रमाणपत्रों में सीए द्वारा गलत सूचनाएँ दी गई थीं। ये अनियमिततायें अभी भी जारी हैं। इस प्रकार कर लेखापरीक्षा एवं लेखाकारों द्वारा सत्यापन शुरू करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ष बढ़ते हुए छोड़े हुए राजस्व और कारोबारी परिवेश की जटिलता के कारण अधिनियम के अनुसार सरकार को बकाया करों और लेखाओं की सही तस्वीर सुनिश्चित करने में

<sup>16</sup> 1997 की सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 का पैरा 3.2

<sup>17</sup> 2008 की सीएजी की प्रतिवेदन से पीए 7

लेखाकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने में आईटीडी और आईसीएआई की संयुक्त जिम्मेदारी है। यदि आवश्यक हो तो अधिनियम में उचित प्रावधान करके निर्धारण प्रक्रियाओं में तीसरे पक्ष के प्रमाणन पर आवश्यक नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित किया जाए।

### 3.11 सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि

- क. यह सत्यापित करने के उद्देश्य से कि क्या कर निर्धारित अवधि के भीतर अदा कर दिया गया है अथवा विलम्ब के कारण कोई ब्याज लगाया जाना है, मंत्रालय वितरित लाभांश घोषणा/भुगतान तिथि को फॉर्म 3सीडी में शामिल करने के लिए फार्म को संशोधित करने पर विचार करे।
- ख. मंत्रालय, अधिनियम की धारा 115जेएए के अंतर्गत क्रेडिट, दावे की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती द्वारा अग्रणीत निर्धारण वर्षवार उपलब्ध मैट क्रेडिट का विवरण देने के लिए फॉर्म 3सीडी अथवा 29बी में संशोधन करने पर विचार करे।

उपरोक्त सिफारिश क और ख पर मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (फॉर्म 3सीए, फॉर्म 3सीबी और फॉर्म 3सीडी) को व्यापक रूप में जुलाई 2014 में संशोधित किया गया है अतः डीडीटी का भुगतान निर्धारित तिथि के अंदर किया गया है, का सत्यापन करने के उद्देश्य से लाभांश घोषणा/भुगतान तिथि को शामिल करने अथवा निर्धारण वर्षवार उपलब्ध मैट क्रेडिट को शामिल करने हेतु इसमें दुबारा संशोधन करना व्यावहारिक नहीं होगा। मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि अपेक्षित विवरणों को 2013-14 से आयकर विवरणी फॉर्म आईटीआर-6 के एमएटीसी और डीडीटी अनुसूची में पहले ही शामिल किया जा रहा था। तथापि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों को नोट किया और कहा कि इसे कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के फार्मों के आगामी संशोधन में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

- ग. मंत्रालय संचित निधि के निवेश और प्रयोग की सटीकता की जाँच करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्टों/संस्थानों द्वारा प्रयोग के रूप में अलग रखी गई राशियों के पिछले दस वर्षों के संग्रहण या उपयोग से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए फॉर्म 10बी और 10बीबी में संशोधन करने पर विचार करे।

*मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि अपेक्षित विवरण पहले ही आयकर विवरणी फॉर्म में जुटाए जा रहे हैं। फॉर्म 10बी और 10बीबी में समान विवरण को शामिल करने से अनुलिपिकरण होगा।*

लेखापरीक्षा का मानना है कि यद्यपि अपेक्षित विवरण आईटीआर में आता है, सीए द्वारा सत्यापन से आईटीआर में दी गई सूचना की सटीकता सुनिश्चित की जा सकती है।

- घ. मंत्रालय कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कर लेखापरीक्षा कार्यों की सीमा का निर्धारण सुनिश्चित करे।

*मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि विनियामक निकाय अर्थात् दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) का दायित्व है कि वह कर लेखापरीक्षा की संख्याओं पर प्रतिबंध लगाए और इसे लागू करे। मंत्रालय ने पुनः उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या को नियंत्रित करने के लिये आईटीडी प्रणाली में नियंत्रण स्थापित करना कठिन है क्योंकि सीए, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में तथा साथ ही सीए फर्म के प्रतिनिधि के रूप में टीएआर पर हस्ताक्षर करता है और कुछ प्रकार की लेखापरीक्षा आईसीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित अधिकतम संख्या से छूट प्राप्त हैं। आईटीडी ऐसे मामलों की सूची जहां टीएआर की संख्या प्रथम दृष्टया अधिक हो जाती है, आईसीएआई द्वारा कार्यवाही के लिए प्रदान करता है।*

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम, धारा 44 एबी के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा की अपेक्षा सीए की फर्मों द्वारा नहीं; लेखाकार द्वारा करता है। इसके अतिरिक्त कर लेखापरीक्षा कार्य पर सीमा धारा 44 एबी के अंतर्गत की जाने वाली सभी कर लेखापरीक्षाओं के लिये आईसीएआई द्वारा निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि सीए को कर लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है जो कि निर्धारिती द्वारा छूट/कटौती का दावा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, राजस्व के हित में और कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालय आईसीएआई के साथ विचार-विमर्श करके लेखापरीक्षा की सीमा का पालन करने के लिये आईटी प्रणाली में उचित नियंत्रण तंत्र प्रारंभ करे।

- ड. मंत्रालय ऐसे सीए जो निर्धारिती अथवा कंपनी के निदेशकों के रिश्तेदार हों, के किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने पर प्रतिबन्ध सुनिश्चित करे।

*मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2014) कि 2015 की बजटीय प्रक्रिया के दौरान मंत्रालय ऐसे सीए जो निर्धारिती अथवा कंपनी के निदेशकों का रिश्तेदार हो, पर किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने पर प्रतिबन्ध का परीक्षण करेगा।*

- च. मंत्रालय अधिनियम की धारा 288 और 1999 के सीबीडीटी के अनुदेश स. 1959 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।


*मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2014) कि अधिनियम की धारा 288 में निहित प्रावधानों और 1999 के अनुदेश सं. 1959 और 09/2008 द्वारा पहले ही की गई कार्रवाई को देखते हुए इस मुद्दे पर और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।*

लेखापरीक्षा का मानना है कि यद्यपि पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे, लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहाँ एओ ने सीए रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध सूचना का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। मंत्रालय को सूचना के उपयोग पर एओ को गहन प्रशिक्षण देना चाहिए तथा इस संबंध में अपने आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करना चाहिए।

छ. मंत्रालय को अधिनियम की धारा 288 के तहत कार्रवाई करने हेतु सीए द्वारा की गई त्रुटियों के मामलों को रिकार्ड करने के लिए एओ हेतु आईटीडी प्रणाली में एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

*मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2014) कि प्रणाली में ऐसी घटनाओं को रिकार्ड करने के लिए एओ को सुविधा देने हेतु डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा लेखापरीक्षा का सुझाव शामिल किया जा सकता है।*

नई दिल्ली  
दिनांक: 27 नवम्बर 2014



(नीलोत्पल गोस्वामी)  
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 27 नवम्बर 2014



(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक